कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली।

विज्ञप्ति

पत्रांकः 366 /जिविसेप्रा/2025 दिनांकः नवम्बर 19 ,2025

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली द्वारा संचालित विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रभावी प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन हेतु, माननीय जनपद न्यायाधीश श्री प्रदीप कुमार सिंह-II के निर्देशानुसार प्रत्येक तहसील पर 05-05 पराविधिक स्वयंसेवक (पैरा लीगल वालेण्टियर) की नियुक्ति की जानी है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित समूहों में से ऐसे व्यक्तियों का जो विधिक सेवा जनसमूह को उपलब्ध करने व निचले व कमजोर तबके व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनके विकास व सामाजिक उत्थान तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने हेतु इच्छुक हों। एक व्यक्ति केवल एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु पात्र होगा।

पराविधिक स्वयंसेवक (पैरा लीगल वालेण्टियर) के चयन हेतु निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता हैः-

1. चिकित्सक, अध्यापक (सेवा निवृत)।
2. सरकारी सेवक व वरिष्ठ नागरिक (सेवा निवृत)।
3. एम0एस0 डब्लू छात्र/छात्रा व अध्यापक।
4. आंगनबाड़ी कार्यकत्री।
5. उभयलिंगी (ट्रांसजेन्डर) समुदाय के सदस्य।
6. विधि छात्र/छात्रा (जब तक कि यह अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं होते)।
7. स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता।
8. महिला संगठनों के सदस्य, मैत्री संगठन व अन्य सेवा समूह के सदस्य।
9. विशेष प्रतिभावान खिलाड़ी एवं विशिष्ट कलाकार।
10. विलक्षण एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय कौशल का प्रदर्शन किया हो।
11. कोई अन्य व्यक्ति जिसे जिला प्राधिकरण इस हेतु अर्ह समझें।

अतः जनसाधारण से अनुरोध है कि जो व्यक्ति पराविधिक स्वयं सेवक के अन्तर्गत चयनित होना चाहते हैं, वे अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2025 की सायं 05.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली अथवा तहसील विधिक सेवा समिति सदर, फरीदपुर, मीरगंज, आंवला, नवाबगंज एवं बहेड़ी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। सम्बन्धित तहसील के आवेदकों को वरीयता दी जायेगी। आवेदन पत्र की प्रति कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली से प्राप्त की जा सकती है अथवा जनपद न्यायालय, बरेली की वेबसाइट http://bareilly.dcourts.gov.in पर Recruitment ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड की जा सकती है। प्राप्त आवेदन पत्रों पर सम्यक विचारोपरान्त साक्षात्कार हेतु सम्बन्धित आवेदक को सूचित किया जायेगा। उक्त साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। नियुक्त किये गये पराविधिक स्वयंसेवक (पैरा लीगल वालेण्टियर) को विशिष्ट कार्यों जैसे दूरवर्ती गांवों में जाने, विधिक साक्षरता से सम्बन्धित साहित्यों का वितरण करने एवं लीगल एड क्लीनिक तथा फ्रन्ट ऑफिस में उपस्थित होने पर राष्ट्रीय/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रति कार्य दिवस की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

उक्त से सम्बन्धित कोई भी जानकारी कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली से प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

(उमा शंकर कहार)
अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बरेली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. माननीय सदस्य सचिव, उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदय, बरेली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य विकास अधिकारी, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद बरेली को विज्ञप्ति का प्रचार-प्रसार अपने स्तर से ग्राम स्तर पर कराए जाने हेतु निर्देशित करें।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त तहसीलदार, जनपद बरेली को इस अनुरोध से प्रेषित कि विज्ञप्ति का प्रचार-प्रसार अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करें एवं निर्धारित समयोपरान्त प्राप्त हुये आवेदन पत्रों को अविलम्ब कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली को उपलब्ध करायें।
7. उपनिदेशक, सूचना विभाग (लखनऊ) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त विज्ञप्ति का निःशुल्क प्रकाशन बरेली के समस्त समाचार पत्रों में जनहित में करायें।
8. ओ.एस.डी. कम्प्यूटर, रजिस्ट्रार (जे.) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
9. केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, बरेली को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद न्यायालय, बरेली के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराएं।
10. सिस्टम ऑफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, बरेली को इस आशय से कि वह उक्त विज्ञप्ति को जनपद न्यायालय, बरेली की वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. केन्द्रीय नाजिर, जिलाधिकारी, बरेली को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कलेक्ट्रेट, बरेली के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये एवं चस्पा रिपोर्ट कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. अध्यक्ष, बरेली बार एशोसियेशन, बरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह उक्त विज्ञप्ति को समस्त सूचना बोर्ड पर चस्पा करें।
13. कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

19/11/2024

(उमा शंकर कहार)
अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बरेली।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बरेली।

विषयः **पी.एल.वी. के रूप में नामित किये जाने हेतु आवेदन पत्र ।**

स्वःप्रमाणित पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. माता का नाम ....
3. स्थायी पता ....
4. पत्र व्यवहार का पता ....
5. जन्म तिथि ....
6. लिंग (पुरुष/महिला/अन्य) ....
7. आधार संख्या ....
8. ई-मेल पता ....
9. दूरभाष संख्या ....
10. शैक्षिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)...............
11. विशेष अनुभव (सामाजिक सेवा के क्षेत्र में योगदान का विवरण) ....
12. पी.एल.वी. के रूप में कार्य करने हेतु इच्छित स्थान (तहसील का नाम) ....
13. क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है? (हॉ/नहीं)..............................
14. क्या आपको किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है? (हॉ/नहीं)...........................
15. क्या आप किसी राजनैतिक पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं? (हॉ/नहीं)...........................

घोषणा

मैं .... एतदद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये समस्त तथ्य मेरे व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित हैं, जो सही हैं। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाये। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा।

संलग्नकों की संख्याः-

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर